राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः F3(73)Store/SEC/2017/3801 दिनांकः– 26.05.2026

सीमित बोली आमंत्रण सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय, जयपुर में ए.सी. (अनुमानित लागत 1,50,000 रूपये) क्रय हेतु विनिर्दिष्ट ओइएम/मूल विनिर्माताओं /प्राधिकृत डीलरों /वितरकों से दिनांक 02.06.2026 को अपरान्ह 01:30 बजे तक मुहरबंद निविदाएं आंमत्रित की जाती है। विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज आयोग की वेबसाईट http://secrajasthan.gov.in एवं SPPP Portal पर देखे व प्राप्त किये जा सकते है।

NIB CODE- SEC2627A0001

UBN- SEC2627GSLB00001

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F3(73)Store/SEC/2017/3802-03 दिनांक:- 26.05.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर लेख है कि एसपीपीपी पोर्टल एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
2. रक्षित पत्रावली।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: F3(73)Store/SEC/2017/13805 दिनांकः– 26.05.2026

सीमित निविदा सूचना संख्या 01/2026

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय, जयपुर में ए.सी. (अनुमानित लागत 1,50,000 /- रूपये) क्रय हेतु विनिर्दिष्ट ओइएम/मूल विनिर्माताओं /प्राधिकृत डीलरों /वितरकों से मुहरबंद बोली (तकनीकी/क्वालिफाईंग बिड व वित्तीय/प्राईस बिड) आमंत्रित की जाती है :–

क्र. स.	आपूर्तिगण उपकरण का नाम	आपूर्तिगत उपकरण की मात्रा नग में	कुल अनुमानित लागत रूपये	बोली प्रपत्र शुल्क(रूपये)	बोली प्रतिभूति राशि(रूपये)	बोली प्रतिभूति राशि
01	ए.सी.	03	1,50,000/–	200/–	3000/–	सामान्य फर्मों के लिए अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत ,एमएसएमई के लिए 0.5 प्रतिशत एवं रूग्ण इकाईयों के लिए 1 प्रतिशत होगी
02	कुल	03	1,50,000/–	200/–	3000/–	

1. बोलीदाता एक या एक से अधिक आइटमों की बोली में भाग ले सकता है, बोलीदाता जिन आइटमों के लिए बोली में भाग ले रहा है उनकी प्रतिभूति राशि बोली दस्तावेज में वर्णित राशि अनुसार जमा करवानी होगी।

1.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने / डाउनलोड कर प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	26.05.2026 को 06:00 PM
2.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	02.06.2026 को 01.30 PM
3.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	02.06.2026 को 03.00 PM

2. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑल लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभुति राशि (बिड़ सिक्योरिटी राशि) ऑनलाइन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से भी जमा करवायी जा सकती है।
3. विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण वेबसाइट https:\\sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
4. बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क (Non-refundable) राशि का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में बनाना होगा अथवा उक्त राशि ईग्रास चालान के माध्यम से निम्नांकित बजट मदों में भी जमा करवाई जा सकती है–

क्र. स.	फीस का प्रकार	बजट मद
1	निविदा प्रपत्र शुल्क	0075–00–800–52–01
2	बोली प्रतिभूति राशि	8443–00–103–00–00

चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा कराने पर चालान की प्रति निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. तकनीकी प्रस्ताव (जिसके साथ बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का बैकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट /ईग्रास चालान संलग्न करना होगा) एवं वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 02.06.2026 को अपरान्ह 01:30 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. बोली (तकनीकी बिड) दिनांक 02.06.2026 समय अपरान्ह 3.00 बजे राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं उपापन समिति के समक्ष खोली जायेगी।
7. बोली दो कवर में प्रस्तुत करें। तकनीकी कवर के साथ ही वितीय कवर भी प्रस्तुत करें।
8. तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियां खोली जायेगी।
9. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(प्रथम कवर में)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

1. निविदादाता फर्म का नाम...
डाक का पता ....
....
2. दूरभाष नम्बर :– .... कार्यालय...
3. मोबाईल नम्बर.................................ईमेलः ....
4. पैन न0...
5. बैंक का नाम ....
खाता संख्या ....
आईएफएससी ....
6. निविदा शुल्क रूपये 500/– जमा का विवरण
रसीद/ईग्रास चालान/डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या...............................दिनांक...............................
7. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता हैं।
8- समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।
9- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
10. ई–बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) स्पेशिफिकेशन के अनुसार होगी, जिसकी समयावधि का प्रारम्भ इंस्टॉलेशन तिथि से होगा।
11. ई–बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों को फर्म द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय राजस्थान जयपुर पर स्थापित किया जाएगा। इस कार्यालय/विभाग द्वारा चाहे जाने पर संबंधित बोलीदाता/फर्म को अपना इंजीनियर/तकनीकी कर्मचारी/प्रतिनिधि भिजवाकर उक्त मशीनों का इन्स्टॉलेशन करवाना होगा, इस हेतु कार्यालय/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
12. वारंटी की अवधि में सामग्री/उपकरणों में खराबी होने पर पार्ट्स/पुर्जों अथवा सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग नही किया जावेगा।
13. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नही किया जावें बल्की अलग लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत किया जाए।
14. प्रथमतः प्राप्त बोलियों की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तो तथा योग्यता मापदण्डों के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य एवं सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।
15. आइटम/उपकरण की आपूर्ति निविदा में निर्धारित एफ.ओ.आर. स्थान क्रयादेश तिथि से 10 दिवस में करनी होगी।
16. बोलीदाता द्वारा निविदत्त आइटम की कंपनी, मॉडल व मेकिंग वर्ष का विवरण भरना होगा।
17. फर्म को किसी भी केन्द्रीय, राज्य, सरकारी उपक्रम एवं अन्य सरकारी विभाग पिछले 3 सालों में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ–पत्र रू 100 के स्टाम्प पर नोटाराइज्ड /लेटर हैड पर अंकित करवाकर निविदा में प्रस्तुत करना होगा।

18. निविदादाता का निविदा में वांछित उपकरणों का विनिर्दिष्ट ओइएम/मूल विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर/वितरक होना आवश्यक है, इस हेतु वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

19. निविदा में वांछित उपकरण निविदा दस्तावेजों में उल्लेखित स्पेशिफिकेसन के अनुरूप होना आवश्यक है।(न्यूनतम रूप से)

20. उद्धत की गयी दरें जुलाई 2026 अवधि के लिए विधिमान्य हैं।

21. निविदादाता को गत तीन वित्तीय वर्षो की आयकर विवरणी की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होगी।

22. राजस्थान राज्य की MSME फर्मों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा उल्लिखित उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इसके आधार पर ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट दी जा सकेगी।

23. निविदा प्रपत्र मूल्य का एवं बोली प्रतिभूति जमा का साक्ष्य/संलग्न नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

24. निविदा दाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो निविदा को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार इस कार्यालय का होगा।

25. **विधि मान्यता**– निविदा, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

26. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

27. निविदा दाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

28. विशेष विवरण :–

a) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होनी आवश्यक है।

b) क्रेता अधिकारी का इस सम्बन्ध में कि प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय निविदा दाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

c) वारंटी एवं गारंटी का खंड– निविदा दाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदा दाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदा दाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

29. रद्द करना(Rejection):–

a) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

b) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदा दाता को सुनवाइ किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

c) रद्द की गयी वस्तुओं को निविदा दाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 7 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदा दाता की जोखिम एवं उसके मद्दे पर उन वस्तुओं को जिन्हें यह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।

30. निविदा दाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के हेाने के मामले में निविदा दाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

31. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदा दाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता हैं। सुपुर्दगी अवधि निविदा दाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

32. मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं तो निविदा दाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर आरटीपीपी अधिनियम एवं नियम के नियमानुसार दिए जा सकेंगे।

33. करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and performence security deposit):–

1. सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भीतर स्वयं के खर्चे पर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदा स्वीकार की गयी हैं, उनके आदेशित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 03 दिन के भीतर जमा करायी जावेगी।

   a) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत लघु उद्योग इकाइयों/राज्य की एमएसएमई ईकाइयों अथवा यूएएम धारी फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित आदेशित मूल्य के कार्य संपादन 01 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी।

   b) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे लेकिन उन्हें बोली घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   c) रूग्ण इकाई हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति राशि 02 प्रतिशत होगी।

2. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सचिव राज्य निर्वाचन आयोग **जयपुर** के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी, शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा (FDR)/eGRAS चालान किसी भी रूप में जमा करायी जा सकती है।

34. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण : निविदा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगाः–

a) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हों।

b) जब निविदा दाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

c) निविदा प्रतिभूति राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

d) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदा दाता द्वारा वहन किया जाएगा।

e) समस्त माल भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा।

35. भुगतान :

a) सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

b) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर निर्णयानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।

c) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

36. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदों सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदा दाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

37. वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता हैं तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेज्स) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध निविदा कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाऐगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

38. यदि निविदा दाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक **फर्म/सप्लायर** से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होगा।

40. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग एवं द्वितीय अपील शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, जयपुर को की जा सकेगी।

41. आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होंगे। एवं निविदा प्रपत्र की शर्तों में भिन्नता होने पर आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 सर्वोपरी होंगे।

42. दरें **समस्त कर सहित** अंकित की जानी हैं।

43. सफल निविदादाता का निर्धारण एलसीबीएस आधार पर किया जाएगा।

44. दरें प्रति नग प्रस्तुत करनी होगी।

45. समान दरें प्राप्त होने पर गत तीन वितीय वर्षों में औसत टर्न ऑवर अधिक वाले बोली दाता की बोली स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

46. सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जायेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

    (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
    (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
    (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
    (घ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

47. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :– बोलीदाता के सेवा सप्लाई करने में असफल रहने पर परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर की जायेगी :–

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2.5 %
(ख)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये	5 %
(ग)	विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये	7.5%
(घ)	विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10%
(ड)	विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड किया जायेगा।	
(च)	परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।	
(छ)	यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है, वह लिखित में उक्त प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिये आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।	
(ज)	यदि सेवा की सप्लाई करने के उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाताओं के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकती है।	

48. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

नाम	सहायक सचिव
कार्यालय का नाम	राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं.	0141–2227407

49. प्रथम अपील हेतु प्राधिकारी–आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
50. द्वितीय अपील हेतु प्राधिकारी–शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग राजस्थान।
51. राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से ब्लेक लिस्ट/डिबार फर्म 03 वर्ष तक आयोग द्वारा आमंत्रित निविदा/उपापन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

मैंने सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार्य है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

(बोली प्रपत्र—क्वालीफाईंग बिड) —

परिशिष्ट

घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांकः दिनांक—

(i) ....के लिए बोली (खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

(ii) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम................................
पूर्ण पता, ...
दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ई—मेल ....
फर्म के प्रतिनिधि का नाम व मोबाइल नम्बर ....

(iii) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :— राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।

(iv) सन्दर्भ :—बोली आमंत्रण सूचना संख्याः—...............................
दिनांक ....

(v) राशि का विवरणः—

1. बोली प्रपत्र शुल्क की ई—ग्रास चालान संख्या...................दिनांक................राशि............
2. बोली प्रतिभूति राशि ई—ग्रास चालान संख्या.................दिनांक.................राशि...........

(vi) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित कार्यादेश तिथि से 10 दिवस में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

(vii) हम सम्पुष्टि(confirm) करते है कि "प्राईसबिड" में अंकित की गई दरें "बोली की वैधता" बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

(viii) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या....................है।

(ix) हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

(x) हम सम्पुष्टि करते है कि हमारी फर्म किसी भी केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रम एवं अन्य सरकारी विभाग पिछले 3 सालों में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ—पत्र रू 100 के स्टाम्प पर नोटाराइज्ड/लेटर हैड पर करवाकर निविदा में प्रस्तुत करना होगा।

(xi) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	विवरण	पेज संख्या
a.	आईटम का नाम– ए.सी.		
	कंपनी का नाम		
	मॉडल नंबर		
	मेकिंग वर्ष		
2.	बोलीदाता फर्म का नाम		
	पता		
	दूरभाष संख्या व ई–मेल का पता		
	फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व मोबाइल नं.		
3.	बोली की सभी शर्तों से सहमति का पत्र		
4.	जीएसटी एवं पेनकार्ड प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति		
5.	ब्लैकलिस्ट / डीबार ना होने संबंधी घोषणा		
6.	आयकर रिटर्न गत तीन वित्तीय वर्ष (वितीय वर्ष 2022–23,2023–24 एवं 2024–25)		
7.	निर्माता / प्राधीकृत डीलर संबंधित दस्तावेज		
8.	Bidder Provide Details of Service Center in Jaipur Rajasthan		
9.	एमएसएमई संबंधी प्रमाण पत्र		

नोट:–उक्त सूची में जिन वांछित दस्तावेज का विवरण फर्म पर लागु नहीं है उस पर लागू नही का उल्लेख किया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

निविदा दाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/स्टोर्स/उपकरणों के लिये निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर हूँ/हैं।(प्रति संलग्न)

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी शर्तो का मैनें/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है, वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "आरटीपीपी अधिनियम 2012" की धारा 46 एवं "नियम 2013" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति की पूर्ण रूप से समपहत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

g) disclose conflict of interest, if any; and

h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

i) have controlling partners/ shareholders in common; or

j) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

k) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

l) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

m) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

n) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

o) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure-B

Declaration by The Bidder regarding Qualification

In relation to my/ our Bid submitted to .... for procurement of .... response to their Notice Inviting Bid No. .... Dated.............................. I/ We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/ We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/ We have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;

3. I/ We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/ our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/ We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/ our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/ We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) **Filing an appeal**

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for Filing Appeal**

(a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No. – 1

Memorandum of Appeal
(See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....
Before.. (Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   a. Name and father's name of the appellant : ....
   b. Official address : ....

   ....

   ....

   c. Residential address : ....
   ....

   ....

2. Name and address of the respondent(s)

   a. ....
   b. ....
   c. ....

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved ....

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative
   ....
   ....

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer
   ....
   ....

Place ....
Date ....

Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetic errors :-**

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

(a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to vary Quantities :-**

(a) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(c) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award :-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the bidders, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

DRAFT AGREEMENT OF CONTRACT FORMAT

(to be mutually signed by selected bidder and procuring entity)
(This agreement shall be executed on the Rs. 500/- non-judicial stamp-paper of Rajasthan State)

Agreement

An agreement made this .... day of .... between ....

[hereinafter called which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the... [name of the Procuring Entity if other than a department of the State (hereinafter called "the Procuring Entity") shall be performing all jobs/grievance redressed/activities etc, for this Bid during contract period], which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

WHEREAS the Procuring Entity invited Bids for supply of air conditioner .... and has accepted a Bid by the Supplier for the supply of Related Services for the sum of .... (amount in figures and words) herein after "the Contact Price").

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS FOLLOWS:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract referred to.
2. The bid document issued vide even no. dated and work order no. dated shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
3. Period of contract will be .... to .... (the contract will be renewed after one year and can be extended further as mentioned in the Bid).
4. In consideration of the payments to be made by the Procuring Entity to the supplier as indicated in this Agreement, the Supplier hereby covenants with the Procuring Entity to provide the Goods and Related goods and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
5. The timelines for the prescribed Scope of Work, requirement of services and deployment of technical resources shall be effected from the date of work order i.e. .... and completed by supplier within the period as specified in the bid document.
6. In case of extension in the delivery and / or installation period/ completion period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores/ works which supplier has failed to supply complete.

A.	Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period, successful installation & completion of work	2.5%
B.	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period successful installation & completion of work	5.0%
C.	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period, successful installation & completion of work.	7.5%
D.	Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period, successful installation & completion of work.	10.0%

Note:

1- Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies/ maintenance services shall be eliminated if it is less than half a day.

2- The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%

3- If supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the work order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

4- Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of service in on account of hindrances beyond the control of supplier.

5. The RTTP Act, 2012/Rules, 2013 and GF & AR their amendments issued by the State Government shall also be the part of this contract agreement.

6. All disputes arising out of this agreement and questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided as per the procedure mentioned in the document.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the law of the Central and the State Government on the day, month and year first mentioned herein before.

Signed By:	**Signed By:**
Designation; Company:	( ) Designation: State Election Commission, Rajasthan
In the presence of:	**In the presence of:**
( ) Designation; Company:	( ) Designation: State Election Commission, Rajasthan
( ) Designation; Company:	( ) Designation: State Election Commission, Rajasthan

निविदा में वांछित सामग्री/उपकरणों के तकनिकी स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार है:–

1. SUPPLY/ INSTALLATION / COMMISSIONING Air Conditioner Split 1.5 Tons:-

Sr. No.	Name of item	Quantity Required	Specifications	Make & Model No. (As per Specifications)
1.	Air Conditioner Split 1.5 Tons With Installation		1.5 TR Split AC with Inverter compressor , BEE Rating- 5 star with copper Piping, Iron Stand and Installation. Variable speed compressor which adjusts cooling capacity depending on heat load. Dew Clean Technology; design to work upto 52°C outside temperature. Refrigerant Gas: R-32 environmental friendly – no ozone depletion potential. Copper Condenser Coil; Better cooling and requires low maintenance. **Comprehensive Warranty**: Minimum 1 year on the entire unit. **Compressor Warranty**: Minimum 10 years. **PCB Warranty**: Minimum 5 years. **Installation Scope:** Installation shall include: • Mounting of Indoor & Outdoor Unit • Outder Stand • Copper pipe with insulation (up to 3 meters included) • PVC drain pipe • Power cable up to 3 meters • Vaccuming before gas release • Testing & Commissioning • Core Cutting if Required Copper piping beyond standard 3 meters shall be paid extra on actual measurement basis.	LG / Hitachi /Voltas /Panasonic/Daikin/ O General/ Mitsubishi

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

परिशिष्ट

(वितीय बोली प्रपत्र)

1. ....क्रय करने के लिए ई–बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम...............................
   पूर्ण पता, ...
   दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ई मेल ....
3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :– राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।
4. पत्र क्रमांक सन्दर्भ:–डी :–... दिनांक:
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:–
   a) परिशिष्ट में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम
   b) मात्रा :–..................................
   c) दरें–एफ.ओ.आर.निम्नानुसार अंकित करें:–
   d) दरें –(प्रति नग):–

क्र. स.	वस्तु/आईटम का नाम	दर प्रति नग	जीएसटी राशि रूपये (प्रति नग)	कुल योग
1.	ए.सी.			
2.	Extra Copper Pipe (with insulation)			

विशेष नोट :–

1. परिवहन, पैंकिंग चार्ज व इन्सटॉलेशन दरों में शामिल माना जायेगा।
2. उक्त करो में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करे।
3. दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखि जावे। दरों में कोई त्रुटि (Error) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होवे।
4. अस्पष्ट वाक्य जैसे:– टैक्स पेड, कर सहित, एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।
5. कॉपर पाइप का भुगतान आवश्यकतानुसार अतिरिक्त किया जायेगा।
6. परिवहन के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
7. आयोग को आवश्यकता अनुसार मात्रा बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. इंस्टोलेशन में आवश्यकता अनुसार कोर कटींग की दरें सम्मिलित होगी। कोर कटींग हेतु अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।

बोली दाता के हस्ताक्षर
मय मोहर